

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-30/2007-  
प्रेषक,

/क०, पटना, दिनांक ..... मई, 2015

धर्मेंद्र सिंह, भा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स अरिहन्त इन्टरनेशनल,  
सुरभि बिहार कॉलनी,  
भूपतिपुर, पो०-ढेलमा, कंकडवाग पटना-20

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 27-28 दिनांक 26.11.2009 का नवीकरण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन, कोषागार चालान एवं सहायक निदेशक, पौ०सं०, सर्वेलेन्स मुख्यालय के स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य संगत कागजातों के आलोक में कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित कीटनाशियों का उनके प्रिसिंपल सर्टिफिकेट एवं विनिर्माण अनुज्ञप्ति की वैधता के आधार पर अनुज्ञप्ति संख्या 27-28 दिनांक 26.11.2009 का नवीकरण 31.12.2016 तक किया जाता है।

क्र०	कम्पनी का नाम	कीटनाशी का नाम	वैधता तिथि
1	मेसर्स एग्रीलैण्ड बायोटेक लि०	Azadirachtin 0.15% EC	31-12-2016
2		Azadirachtin 0.03% EC	
3		Sulphur 80% WP	
4		Sulphur 40% SC	
5		Gibberellic Acid Technical	
6		Trichoderma Viride 5% WP	
7		Azadirachtin 1% PPM	
8		Pesudomonas flourescence 1% WP	
9		Verticillium lecanii 1.15% WP	
10	मेसर्स गणेश बायोकंट्रोल सिस्टम राजकोट (गुजरात)	NPV of Helicoverpa armigera 2.0% AS	31-12-2015
11		Paecilomyces Lilacinus 1.0% WP	
12		Pseudomonas Fluroscens 0.5% WP	
13		Triazophos 40% EC	
14		Triacantanol 0.1% EW	

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा :- मेसर्स अरिहन्त इन्टनेशनल अशोक निवास भूपतिपुर, पो०-ढेलमा, कंकडवाग पटना-20

3-यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4-अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण /विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

4-भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

5-अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

6-नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथ चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

7-आदेश दिया जाता है कि कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 198 में निहित प्रावधान के अनुरूप उपर्युक्त प्रतिवद्धता एवं शर्तें आपके द्वारा अनुपालन किया जायेगा। अन्यथा आपकी अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है।

8-कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-27-28 दिनांक 26.11.2009 मूल रूप से संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाए।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2258

/क०, पटना, दिनांक 16.05.2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर हेतु प्रेषित।

  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।